

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या २८/२०२१ (एम.ए.सी.पी.सं. ९१/२०१७)

कु. आकांक्षा बनाम तरुण कुमार गुप्ता आदि

२५.०३.२०२१

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज ३बी प्रार्थनापत्र पर आदेश हेतु नियत है। ३बी प्रार्थनापत्र पर पूर्व नियत तिथि पर प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थिया/याचिया कु. आकांक्षा द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है, कि उपरोक्त याचिका न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक २२.०६.२०२० को निर्णीत की जा चुकी है। उक्त निर्णय के विरुद्ध विपक्षी नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एफ.ए.एफ.ओ.सं. ५७७/२०२० प्रस्तुत की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांकित २४.११.२०२० के अनुसार विपक्षी बीमा कम्पनी को सम्पूर्ण प्रतिकर धनराशि जमा करने का आदेश दिया गया एवं जमा क्षतिपूर्ति धनराशि ५० प्रतिशत प्रार्थी/याची को नकद तथा शेष ५० प्रतिशत धनराशि सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली कम से कम ३ वर्ष के लिये सावधि जमा योजना में निवेशित की जाना है, जिसका ब्याज प्रार्थिया/याचिया प्राप्त करेगी। अतः प्रार्थिया/याचिया ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जमाशुदा धनराशि उसे दिलाए जाने की याचना की है। समर्थन में प्रार्थिया ने स्वयं का शपथपत्र ४सी२, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त एफ.ए.एफ.ओ. में पारित आदेश दिनांकित २४.११.२०२० की प्रति, न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय की प्रति, अपने आधार कार्ड व बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रति दाखिल की गई हैं।

प्रार्थिया ने शपथपत्र ४सी२ में प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है। कार्यालय आख्या दिनांकित ०९.०२.२०२१ के अनुसार चेक रजिस्टर के क्रमांक ३० पर संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा जरिये नेफ्ट ₹२,२३,८०१ यूटीआर नं. केकेबीके २०३५३८६१३३०२ से पी.एन.बी. झोकनबाग, झाँसी में जमा होने का इन्द्राज है तथा कार्यालय आख्या दिनांकित १७.०२.२०२१ के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एफ.ए.एफ.ओ. सं. ५७७/२०२० में पारित आदेश दिनांकित २४.११.२०२० के अनुसार ५० प्रतिशत धनराशि याचिया को देय है तथा ५० प्रतिशत धनराशि अधिक से अधिक ब्याज दर देने वाली एफ.डी.आर. में ३ साल के लिए निवेशित की जानी है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक २२.०६.२०२० को ₹२,४८,८०१ मय ब्याज हेतु एवार्ड पारित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त एफ.ए.एफ.ओ. में पारित आदेश दिनांकित २४.११.२०२० व कार्यालय आख्या एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है, कि प्रस्तुत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि ₹२,२३,८०१ विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा जमा की गई है, जिसमें से ५० प्रतिशत प्रतिकर की धनराशि याचिया को नकद प्राप्त होनी हैं तथा शेष ५० प्रतिशत धनराशि की सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली एफ.डी.आर. में कम से कम तीन वर्ष के लिए याचिया के नाम निवेशित की जानी है। प्रार्थिया ने अपने बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रति दाखिल की है। अतः मेरे विचार से प्रार्थिया/याचिया माननीय उच्च न्यायालय के उक्त एफ.ए.एफ.ओ. में पारित आदेश दिनांक २४.११.२०२० के अनुपालन में ५० प्रतिशत धनराशि ₹१,११,९०० प्रार्थिया/याचिया आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त करने की अधिकारिणी है तथा शेष ५० प्रतिशत धनराशि ₹१,११,९०१ सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा योजना में ३ साल के लिए प्रार्थिया के नाम निवेशित किये जाने योग्य है, जिसका ब्याज प्रार्थिया प्राप्त कर सकेगी।

आदेश

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. ९१/२०१७ (प्रकीर्ण वाद सं. २८/२०२१ कु. आकांक्षा बनाम तरुण कुमार

गुप्ता आदि) के प्रकरण में जमाशुदा क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ २,२३,८०१ मय अर्जित ब्याज प्रार्थिया /याचिया को निम्न सारिणी के अनुसार को भुगतान कर दें:-

Applicant/ Petitioner	Amount in Rs.	+ (%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursement	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
1.KUM. Akanksha Kaushik	111900	50	Elect.Mode RTGS/ NEFT	14590001701 23281	PNB Gursarai Jhansi	PUNB0145900
2.KUM. Akanksha Kaushik	111901	50	FD for 3 Years. Carrying highest Intrest. Her interest received on account	-----	Any Nationlized Bank	-----
Total	223801	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय तथा न्यायाधिकरण के नाम जारी एफ.डी.आर.अबिलंब न्यायाधिकरण में दाखिल की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झांसी।